सेवामे,

माननीया जनपद न्यायाधीश,
उन्नाव।

महोदया,

आदेश दिनॉक 31.05.2024 के अनुपालन में आज दिनॉक 01.06.2024 को मेरे विश्रामकक्ष में बैठक आहूत की गयी। जिसमें सदस्य श्रीमती शिप्रा आर्या, अपर जिला जज उन्नाव उपस्थित आयी।

समिति के सदस्य श्री विवेकानन्द विश्वकर्मा, अपर जिला जज आज ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने के कारण आज उपस्थित नही है।

बैठक के दौरान केन्द्रीय नाजिर द्वारा अवगत कराया गया कि परिसर में दो सूखे शीशम पेड़ तथा एक सूखा खजूर पेड़ो की नीलामी कराये जाने हेतु वन विभाग,उन्नाव से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट दिनॉकिंत 29.11.2023 के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय से नीलामी की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये है।

जिनके अनुकम में माननीय उच्च न्यायालय से पत्र सं0 1853/प्रशासन बी–1 दिनॉकिंत 22.05.2024 प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार उपरोक्त पेड़ों की नीलामी करायी जानी है।

पेड़ो की नीलामी कराये जाने हेतु विचार–विमर्श किया गया। जिसके पश्चात समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पेड़ो की नीलामी खुली बोली के आधार पर करायी जाये तथा नीलामी से पूर्व व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु सलंग्न नोटिस दिनॉक 20.06.2024 के लिये निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने हेतु निदेशक,सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जावे।

साथ ही नोटिस व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु जनपद के वनाधिकारी,उन्नाव, जिला जज,जिलाधिकारी,लोक निर्माण विभाग, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका के नोटिस बोर्डो पर चस्पा कराये जाने हेतु भेजी जावे। साथ ही नोटिस माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाइट में भी अपलोड कराये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

ऑख्या सलंग्न नीलामी की शर्तो सहित माननीया जनपद न्यायाधीश महोदया के अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत।

Shipra Arya 01.06.24

(शिप्रा आर्या)
सदस्य
वित्तीय समिति/
अपर जिला जज,उन्नाव।

(एम0ए0सिद्दीकी)
अध्यक्ष
वित्तीय समिति/
अपर जिला जज,उन्नाव।

Approved as per the committee
01/06/24

<u>कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय,उन्नाव।</u>

<u>नीलामी शर्ते</u>

1. नीलामी जनपद न्यायालय,उन्नाव के दसकक्षीय न्याय भवन के केन्द्रीय हाल में दिनॉक 20.06.2024 को सॉय 4.30 बजे समिति के समक्ष की जायेगी।

2. उक्त बोली खुली बोली पद्वति के आधार पर अर्थात वन विभाग द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट को न्यूनतम बोली मानते हुये शुरू की जायेगी तथा अधिकतम बोलीकर्ता के पक्ष मे होगी।

3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत के रूप में रू0 5000–00 की धनराशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश,उन्नाव के नाम से तैयार कराकर बोली से पूर्व जमा करना होगा

4. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में होगी उसे सम्बन्धित पेड़ो को उठाने के लिये वन विभाग से अनुमति प्रापति करनी होगी जिसके लिये केता को आवश्यक शुल्क स्वंय जमा करना होगा।

5. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियो को यह अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित पेड़ों का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नजारत के माध्यम से कर सकतें है।

6. बोली जहॅा है, जैसा है, के आधार पर की जायेगी।

7. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में होगी उसे तत्काल नीलामी की शेष राशि जमा करनी होगी।

8. प्रथम तीन उच्चतम बोलीकर्ता को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।

9. बोली की स्वीकृत माननीय जिला जज महोदया के अनुमोदन के अधीन होगी।

10. पेड़ो की लकड़ी उठाने का व्यय स्वंय बोलीकर्ता को वहन करना होगा।

11. नीलामी को बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत/स्थगित एंव रद्द करने का पूर्ण अधिकार माननीया जनपद न्यायाधीश महोदया को होगा।

12. बोलीकर्ता को बोली की धनराशि के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क को जमा किये जाने के पश्चात ही लकड़ी को उठाने का अधिकार होगा।

शर्तो की प्रति ससम्मान माननीया जनपद न्यायाधीश महोदया के अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।

Shipra Arya 20.06.24

(शिप्रा आर्या)
सदस्य
वित्तीय समिति/
अपर जिला जज,उन्नाव।

(एम0ए0सिद्दीकी)
अध्यक्ष
वित्तीय समिति/
अपर जिला जज,उन्नाव।